



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक-38

आर.बी.ई. सं.- 20/2021

मिसिल संख्या का/मर्ती स्था प्रमोशन/स्वीट्स फौटा/IV

दिनांक 24.05.2021

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय :- Recognition of Gymnastics Federation of India (GFI)-regarding.

रेलवे बोर्ड का पत्र 2021/E(Sports)/4(1)/2 Status Dated 1503-2021 की
प्रतिलिपि सूचना, मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
संलग्नक/यथोपरि

(बसन्त लाल)
24/5/2021

वकाधि/आर.पी.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर ।
- 2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर ।
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर ।
- 4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर ।

(बसन्त लाल)
24/5/2021

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

दिनांक... 19/3/2021

संयुक्त...

महोदय
Dy. Dir. (Sports)
SPD/HQ

RBE No. 20/ 2021

Clarification/Corrigendum No. 117

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

New Delhi, dated 15.03.2021

No. 2021/E(Sports)/4(1)/2/Status

The General Managers (P),

All Zonal Railways including
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata,
The CAO(R), DMW/Patiala,
The DG, RDSO/Lucknow.

Sub : Recognition of Gymnastics Federation of India (GFI) - regarding.

Ref: Board's letter no. 2014/E(Sports)/4(1)/1/Policy Clarifications, dated
11.03.2014 RBE No. 23/2014 Clarification / Corrigendum No. 46.

Vide Board's letter under reference dated 11.03.2014 (RBE No. 23/2013) it was decided that the sports achievements in the event conducted by Gymnastics Federation of India or its affiliated units after 30.07.2011, shall not be considered for recruitment, incentives and all other establishment matters.

2. Ministry of Youth Affairs and Sports vide their letter No. 30-8/2009-SP-I/SP-III (Vol.II), dated 26.02.2021 has restored the recognition of Gymnastics Federation of India, led by Shri Sudhir Mittal as President, as National Sports Federation for the sport of Gymnastics in India w.e.f. 26.02.2021.

3. In line with the decision of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Railway Sports Promotion Board, for the game of Gymnastic, accords it recognition to restore the recognition of Gymnastics Federation of India, led by Shri Sudhir Mittal as President, as National Sports Federation for the sport of Gymnastics in India w.e.f. 26.02.2021. Participation and medal winning performance in the events organized by the above Federation after 26.02.2021 may be considered for recruitment, incentives and all other establishment related issues, as per Board's extant policy instructions.

4. Please acknowledge receipt of this letter.



(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director/ Estt.(Sports)

No. 2021/E(Sports)/4(1)/2/Status

New Delhi, dated 15.03.2021

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi.
3. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employee Association, 7-GF, Ground Floor, Rail Bhavan, New Delhi.
4. The General Secretary, All India OBC Railway Employees' Association, Room No.48, Rail Bhavan, New Delhi.



For Secretary/Railway Board

Copy to:

1. The FA&CAO, All Zonal Railways and Production Units.
2. The Hony. General Secretaries, Sports Associations of all Zonal Railways/ Production Units.
3. PPSS/PSs to CRB; MS; AM(S); Adv.(IR); ED/E(N); ED(E); ED/E(Res.); ED/F(E); D/E(N); JD/E(N); JD/E(Rep.)-I&II; JD/E(W); DD/E(N)I&II; DD/E(R)-I&II; DD/F(E)-I,II&III; and E(Rep.)-I,II&III; E(SCT)I&II; E(NG)I&II; and F/E(Spl.) Branches in Board's office.

आरबीई सं.20/2021

स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं.117

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2021/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/2/स्टेटस

नई दिल्ली, दिनांक: 15.03.2021

महाप्रबंधक (कार्मिक),

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं

घितरंजन रेलइंजन कारखाना, डीजल रेलइंजन कारखाना, सवारी डिब्बा कारखाना,

रेल कोच फैक्टरी, रेल पहिया कारखाना, मेट्रो रेलवे/कोलकाता,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर.), डीजल आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला

महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./लखनऊ।

विषय: जिमनास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 11.03.2014 का पत्र सं.2014/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/पॉलिसी क्लैरिफिकेशन्स
(आरबीई सं.23/2014) स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं.46.

बोर्ड के दिनांक 11.03.2014 (आरबीई सं.23/2014) के उक्त संदर्भाधीन पत्र के तहत यह विनिश्चय किया गया था कि जिमनास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया और इससे संबद्ध इकाइयों द्वारा 30.07.2011 के बाद से आयोजित किए गए कार्यक्रमों में खेलकूद उपलब्धियों पर भर्ती, प्रोत्साहन और स्थापना संबंधी अन्य सभी मामलों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

2. युवा कार्यक्रम और खेलकूद मंत्रालय के दिनांक 26.02.2021 के पत्र सं.30-8/2009- एसपी-1/ एसपी-111 (वाल्क्यूम-11) के तहत, भारत में जिमनास्टिक खेल के लिए राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशन के रूप में श्री सुधीर मित्तल, अध्यक्ष के नेतृत्व में जिमनास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की 26.02.2021 से मान्यता बहाल कर दी गई है।

3. युवा कार्यक्रम और खेलकूद मंत्रालय के निर्णय के समान, रेलवे खेलकूद संवर्द्धन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशन के रूप में श्री सुधीर मित्तल, अध्यक्ष के नेतृत्व में जिमनास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की 26.02.2021 से मान्यता बहाल करने की मान्यता प्रदान कर दी गई है। बोर्ड के मौजूदा नीतिगत अनुदेशों के अनुसार, 26.02.2021 से उक्त फेडरेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी और पदक विजेता प्रदर्शन पर भर्ती, प्रोत्साहन और स्थापना संबंधी अन्य सभी मामलों के लिए विचार किया जाए।

4. कृपया इस पत्र की पावती दें।


(भास्कर राय चौधरी)
उप निदेशक/स्थापना (खेलकूद)
रेलवे बोर्ड